


रक्षकों एवं अधिकारियों
आदि के हस्ताक्षर

समक्ष माननीय सदस्य महोदय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर सार्क कोर्ट



रीवा ।
मिशनरी 415-III-15

40
9.2.15

- 1- धर्मदास यादव तनय स्वर्ग श्री रामफल यादव,
- 2- सुदामा यादव तनय स्वर्ग श्री रामफल यादव,
- 3- रमेश यादव तनय स्वर्ग श्री रामफल यादव

----- सभी निवासी ग्राम पड़रिया तहसील रायपुर कर्चुलियान

----- आवेदक गण ।

श्री. जिला सिक्रेटरी
द्वारा आज दिनांक 09.02.15
प्रस्तुत किया गया।

बनाम

सर्किट कोर्ट रीवा- विश्वनाथ यादव तनय स्वर्ग श्री गयादीन यादव अना 0 क्र 0 । ता 3 निवासी

2- विश्वनाथ यादव तनय स्वर्ग श्री गयादीन यादव ग्राम पड़रिया तह 0 रायपुर

3- बेबा जयराम पत्नी स्वर्ग श्री रामफल यादव कर्चुलियान जिला रीवा

4- श्रीमती सुक्वीरिया पुत्री स्वर्ग श्री रामफल यादव पत्नी श्री हीरामणि यादव

हाल निवासी ग्राम काँटी तहसील मनगाँ जिला रीवा म 0 प्र 0 ।

श्रीमती सुमित्रा पुत्री स्वर्ग श्री रामफल यादव पत्नी श्री सत्यनारायण यादव

हाल निवास साकिम सिलवरी तहसील हुजूर जिला रीवा म 0 प्र 0 ।

बेबा देवकली पत्नी स्वर्ग श्री छोटेलाल यादव अना 0 गण क्र 0 6 ता 8

7- देवशरण यादव तनय स्वर्ग श्री छोटेलाल यादव निवासी ग्राम पड़रिया

8- मिठाईलाल यादव तनय स्वर्ग श्री खेलाड़ी यादव तहसील रायपुर कर्चुलियान

जिला रीवा म 0 प्र 0 ।

9- शासन म 0 प्र 0

----- अनावेदक गण ।

क्रमांक 4516
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक को प्रस्तुत

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर
जिलाध्यक्ष महोदय रीवा जिला रीवा के जरिए
प्र 0 क्र 0 88/363/2011-12 में पारित आदेश दि 0
26-12-2014 .

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म 0 प्र 0 भू 0 र 0 T 0
संख्या वर्ष 1959 ई 0 ।

मान्यवर,


पुनरीक्षण याचिका के आधार निम्नीलिखत हैं :-

वर्तिमान यादव
रमेश कुमार यादव प्र 0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 415-सी/15 जिला रीवा

धर्मदास यादव कोट विरुद्ध विश्वनाथ यादव कोट

(1)	(2)
19-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>जितेन्द्र सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर / अपर कलेक्टर, जिला <u>रीवा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>88/166/जा:11-12</u> में पारित आदेश दिनांक <u>26-12-14</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>14-3-19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>